

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/3866

दिनांक 17/10/2025

उपरोक्त प्रकरण रामराम बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या 224/2025

—: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त निपटारण लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 05/भूअ./2025 दिनांक 29/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम जयपुर पटवारी हल्का जयपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के मुझे खाता संख्या 60,307 में खातेदार श्रीकर पुत्र परताराम के स्थान पर श्रीकर पुत्र परताराम का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का जयपुर उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 17/10/2025

कमांक/रीडर/2025/3867-68

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का जयपुर तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)